भारतीय तटरक्षक
(रक्षा मंत्रालय)

तटरक्षक भर्ती कार्मिक परीक्षा (सीजीईपीटी) –01/2026 तथा 02/2026 बैच के माध्यम से भारतीय तटरक्षक में भर्ती कार्मिक के रूप में शामिल होने का अवसर आवेदन दिनांक 11 जून 25 (1100 बजे) से 25 जून 25 (2330 बजे) तक 'ऑनलाइन' स्वीकार किए जाएंगे

1. **पात्रता संबंधी शर्तें.** संघ के सशस्त्र बल, भारतीय तटरक्षक में, **नाविक (जनरल ड्यूटी) तथा नाविक (घरेलू शाखा) तथा यांत्रिक के पद** पर भर्ती के लिए अधोलिखित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने वाले एवं निर्धारित आयु सीमा वाले पुरुष भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. **शैक्षणिक योग्यता**.

(क) **नाविक (जनरल ड्यूटी).** स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई) के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से गणित एवं भौतिकी विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण।

(ख) **नाविक (घरेलू शाखा).** स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई) के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण।

(ग) **यांत्रिक.** स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई) के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)द्वारा अनुमोदित 03 या 04 साल की अवधि का इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/टेलीकम्यूनिकेशन (रेडियो/पॉवर) इंजीनियरिंग डिप्लोमा।

या

स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई) के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं उत्तीर्ण "एवं" अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित 02 या 03 साल की अवधि का इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/टेलीकम्यूनिकेशन (रेडियो/पॉवर) इंजीनीयरिंग डिप्लोमा।

नोट: यांत्रिक संवर्ग में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन (रेडियो/पॉवर) इंजीनियरिंग (इंजी) शाखा में भर्ती के लिए समकक्ष डिप्लोमा की सूची नीचे दी गई है:-

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (डिप्लोमा)	**मैकेनिकल इंजीनियरिंग (डिप्लोमा)**	**इलेक्ट्रॉनिक्स/ टेलीकम्युनिकेशन (रेडियो/पॉवर) इंजीनियरिंग (डिप्लोमा)**
इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (पॉवर सिस्टम)	मरीन इंजीनियरिंग/ मरीन इंजीनियरिंग एवं सिस्टम	एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग

इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग	मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडकशन)	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग	मैकेनिकल इंजीनियरिंग (ऑटोमोबाइल)	इलेक्ट्रॉनिक्स (फाइबर ऑप्टिक्स)
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	मैकेनिकल इंजीनियरिंग (रेफ्रीजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग)	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं पॉवर)	मैकेनिकल इंजीनियरिंग (मरम्मत एवं रख-रखाव)	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इंडस्ट्रीयल कंट्रोल)	प्रोडक्शन इंजीनियरिंग	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल)	शिप बिल्डिंग (जहाज निर्माण) इंजीनियरिंग	
इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टम इंजीनियरिंग		

नोट: ऑनलाईन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की अंकतालिका में उल्लिखित अंकों के अनुसार सभी विषयों के अंक भरने होंगे। ऑनलाइन आवेदन में अंकों का गलत या अपूर्ण भरा जाना अभ्यर्थिता रद्द करने का कारण बनेगा।

(ii) **यांत्रिक पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जिनके पास चरण-II भर्ती प्रक्रिया से पूर्व मूल डिप्लोमा प्रमाण पत्र नहीं हैं, उन्हें आवश्यक रूप से चरण-II भर्ती आयोजन के दौरान कॉलेज/विश्वविद्यालय प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनंतिम प्रमाण पत्र लाना और अपलोड करना होगा। हालाँकि, चरण-III के आयोजन के दौरान मूल डिप्लोमा प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। यदि चरण- III में अभ्यर्थी के पास मूल दस्तावेज़ नहीं हैं, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।**

3. **<u>आयु.</u>** न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 22 वर्ष। संबंधित तिथियां नीचे दी गई हैं :-

(क) **<u>नाविक (जनरल ड्यूटी) 01/26 तथा 02/26 बैच के लिए</u>** अभ्यर्थी का जन्म **01 अगस्त 2004** से **01 अगस्त 2008** के मध्य हुआ होना चाहिए।

(ख) **<u>यांत्रिक 01/26 बैच के लिए</u>** अभ्यर्थी का जन्म **01 मार्च 2004** से **01 मार्च 2008** के मध्य हुआ होना चाहिए।

(ग) **<u>नाविक (घरेलू शाखा) 02/26 बैच के लिए</u>** अभ्यर्थी का जन्म **01 अगस्त 2004** से **01 अगस्त 2008** के मध्य हुआ होना चाहिए।

नोट: -अजा/अजजा के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी) के अभ्यर्थियों के लिए 03 वर्षों की छूट यदि पद उनके लिए आरक्षित हैं, तो लागू रहेगी।

4. **<u>रिक्तियाँ.</u>** प्रत्येक बैच के लिए श्रेणीवार रिक्तियों की संभावित संख्या इस प्रकार है :-

(क) **<u>सीजीईपीटी 01/26 बैच</u>**

पद	अना (सामान्य)	ई डब्ल्यू एस	अपिव	अजा	अजजा	कुल
नाविक (जनरल ड्यूटी)	99	25	65	46	25	**260**

यांत्रिक (मेकेनिकल)	11	04	09	06	00	**30**
यांत्रिक (इलेक्ट्रिकल)	04	01	02	02	02	**11**
यांत्रिक (इलेक्ट्रोनिक्स)	09	01	03	05	01	**19**

(ख) **<u>सीजीईपीटी 02/26 बैच</u>**

पद	अना (सामान्य)	ई डब्ल्यू एस	अपिव	अजा	अजजा	कुल
नाविक (जनरल ड्यूटी)	104	26	71	40	19	**260**
नाविक (घरेलू शाखा)	20	05	16	08	01	**50**

<u>नोट:</u> (i) नाविक (डीबी) एवं नाविक (जीडी) के लिए क्षेत्रवार भर्ती की जाएगी, अर्थात नाविक (डीबी) एवं नाविक (जीडी) की रिक्तियाँ पाँच क्षेत्रों में वितरित की गई हैं। पाँच क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए अलग-अलग मेरिट सूची तैयार की जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले राज्यों का विवरण इस प्रकार है :-

<u>उत्तर</u> – जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़।

<u>पश्चिम</u> – गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव।

<u>पूर्व</u> – पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा।

<u>दक्षिण</u> - आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक एवं लक्षद्वीप।

<u>केंद्रीय</u> – मध्य प्रदेश, झारखंड**,** छत्तीसगढ़, बिहार।

(ii) पंजीकरण के समय क्षेत्रवार रिक्तियाँ दर्शाई/सूचित की जाएगी । ये क्षेत्रवार रिक्तियाँ अस्थायी हैं तथा परिवर्तित हो सकती हैं।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी) / ईडब्ल्यूएस वर्ग केअभ्यर्थियों के लिए कोई रिक्त पद आरक्षित न होने की स्थिति में भी ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी इस स्थिति में आयु में रियायत या उत्तीर्ण अंकों में छूट या आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट एवं यात्रा किराए की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

<u>चयन प्रक्रिया</u>

5. अभ्यर्थियों का चयन चरण I, II, III, एवं IV (पैरा 6 में विस्तार से उल्लेखित) में उनके प्रदर्शन, चिकित्सा परीक्षा के दौरान निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करने तथा संबंधित बैच में पद के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पर आधारित है। भारतीय तटरक्षक में भर्ती के लिए चरण I, II, III, एवं IV में अहर्ता प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों का यांत्रिक के पद पर चयन केवल सीजीईपीटी-01/26 तथा नाविक (डीबी) के पद पर चयन केवल सीजीईपीटी-02/26 बैच के लिए होगा । **हालाँकि,अभ्यर्थी का सीजीईपीटी 01/26 बैच या सीजीपीटी 02/26 बैच में नाविक (डीबी) के पद पर चयन मेरिट के क्रम एवं उपलब्ध रिक्तियों एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर होगा** । अभ्यर्थी किसी विशेष बैच में अपने चयन का दावा नहीं कर सकते हैं। सीजीईपीटी के चरण I, II, III, एवं IV की परीक्षा के प्रारंभ होने से पूर्व सभी अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से पहचान की जाँच से गुजरना होगा। चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में पहचान की जाँच में निम्नलिखित का सत्यापन/मिलान सम्मिलित होगा:-

(क) **पंजीकरण के दौरान लाइव इमेज कैप्चर** - पंजीकरण के दौरान अभ्यर्थी को नवीनतम फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण के दौरान अभ्यर्थी की लाइव इमेज खींची जाएगी। अपलोड की गई फोटो में अभ्यर्थी के चेहरे की विशेषताओं का वास्तविक समय की फोटो से मिलान किया जाएगा। केवल फोटो मिलान की स्थिति में ही अभ्यर्थी आवेदन जमा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन आवेदन पत्र के पंजीकरण के दौरान ली गई वास्तविक समय की फोटो एवं आवेदन पत्र में अभ्यर्थी की फोटो का मिलान आगे के सभी चरणों में पंजीकरण सॉफ्टवेयर द्वारा अभ्यर्थी के चेहरे की विशेषताओं/शारीरिक बनावट से किया जाएगा।

(ख) **बायोमेट्रिक**

(i) चरण-। भर्ती के दौरान ऑनलाइन परीक्षा से पूर्व केवल बाएँ अंगूठे का बायोमैट्रिक लिया जाएगा। यदि चरण -। के दौरान बाएँ अंगूठे का बॉयोमैट्रिक नहीं लिया जाता है, तो दाएँ अंगूठे का बायोमैट्रिक लिया जाएगा और आगे के सत्यापन के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। बाएँ एवं दाएँ अंगूठे के अलावा, किसी अन्य अंगुली पर बॉयोमैट्रिक के लिए विचार नहीं जाएगा।

(ii) यह अभ्यर्थी की ज़िम्मेदारी है, कि वह पहले से जाँच कर ले कि बायोमेट्रिक मशीनें अंगुलियों के निशानों की छवि (फिंगरप्रिंट) लेने में सक्षम हैं। यदि बायोमेट्रिक मशीन मेहंदी, मोम आदि के कारण फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने में सक्षम नहीं हैं, तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए हस्ताक्षर।

(घ) ऑनलाइन आवेदन में यथा उल्लिखित पहचान चिह्न।

नोट: किसी भी चरण में उपर्युक्त उल्लिखित पहचान जाँच में से किसी एक में भी असफल होना, अभ्यर्थिता रद्द होने का कारण बनेगा।

6. सीजीईपीटी परीक्षा के विभिन्न भागों का विवरण इस प्रकार है: -

(क) **चरण-। (कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा)**

(i) **दस्तावेज़ सत्यापन** चरण-। में अभ्यर्थी की पहचान ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विवरण को देख कर जाँची जाएगी । अभ्यर्थी को अपने संबंधित परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करते समय सत्यापन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ लाने होंगे :-

(कक) वैध मूल पहचान पत्र (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेंस **या** पासपोर्ट) जैसा कि ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत/अपलोड किया गया है । ऑनलाइन आवेदन भरते समय आधार कार्ड धारक अभ्यर्थियों द्वारा पहचान प्रमाण के रूप में प्रथम विकल्प आधार कार्ड अपलोड करना होगा।

(कख) ई प्रवेश पत्र का एक प्रिंट आउट (ई प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब अभ्यर्थी का फोटो तथा अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हों/पठनीय हो)।

(कग) ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की गई फोटोग्राफ के समान 02 पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ ।

(कघ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले तथा अपने किराए की प्रतिपूर्ति के इच्छुक अभ्यर्थियों को मूल जाति प्रमाण पत्र और अजा/अजजा प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित 02 फोटोकॉपी, मूल ट्रेन/बस टिकट, एनईएफटी भुगतान के लिए रद्द चेक पत्र और यात्रा भत्ते का दावा करने के लिए वेबसाइट से डाउनलोड किया गया यात्रा फॉर्म साथ लाना होगा।

नोट: ऑनलाइन आवेदन तथा ई प्रवेश पत्र में उल्लिखित अभ्यर्थी का विवरण (नाम, पहचान प्रमाण विवरण, जन्मतिथि) का मिलान अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए पहचान प्रमाण (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेंस **या** पासपोर्ट) से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन तथा ई प्रवेश पत्र में जानकारी के संबंध में उपर्युक्त दस्तावेजों में नाम/जन्मतिथि/पहचान पत्र संख्या/ फोटो में कोई विसंगति होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चरण –I में किसी अन्य दस्तावेज़ की जाँच नहीं की जाएगी तथा यह केवल प्रारंभिक बुनियादी दस्तावेज़ सत्यापन है। विस्तृत दस्तावेज़ सत्यापन आगे के पैराग्राफों में उल्लिखित नियमों के अनुसार बाद के चरणों में किया जाएगा।

(ii) **बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग.** दस्तावेज़ सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों को चरण–I में बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग से गुजरना होगा। चरण–I में प्राप्त किए गए बायोमेट्रिक डाटा को बाद के सभी चरणों में सत्यापित/पुन: कैप्चर किया जाएगा।

(iii) अभ्यर्थियों को आवेदित पद के आधार पर निम्नलिखित परीक्षाओं से गुजरना होगा:-

क्र. सं	**आवेदित पद**	**लिखित परीक्षा**	**उत्तीर्णांक**	**अभ्युक्ति**
(कक)	नाविक (डी बी)	भाग -I	30 (अना/ईडबल्यूएस/अपिव) 27 (अजा/अजजा)	
(कख)	नाविक (जी डी)	भाग (I+II)	30+20=50 (अना/ईडबल्यूएस/अपिव) 27+17= 44 (अजा/अजजा)	भाग I और II में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
(कग)	यांत्रिक (इलेक्ट्रिकल)	भाग (I+III)	30+20=50 (अना/ईडबल्यूएस/अपिव) 27+17= 44 (अजा/अजजा)	भाग I और III में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
(कघ)	यांत्रिक (इलेक्ट्रॉनिक्स)	भाग (I+IV)	30+20=50 (अना/ईडबल्यूएस/अपिव) 27+17= 44 (अजा/अजजा)	भाग I और IV में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
(कङ)	यांत्रिक (मैकेनिकल)	भाग (I+V)	30+20=50 (अना/ईडबल्यूएस/अपिव) 27+17= 44 (अजा/अजजा)	भाग I और V में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(iv) लिखित परीक्षा के विभिन्न भागों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	**परीक्षा का नाम**	**परीक्षा का विवरण**	**विषयवार प्रश्नों की संख्या**	**उत्तीर्णांक**	**पाठ्यक्रम**
(कक)	भाग I	अधिकतम अंक – 60 समय – 45 मिनट प्रश्नों की कुल संख्या – 60	गणित – 20 विज्ञान - 10 अंग्रेजी – 15 तर्कशक्ति–10 सामान्य ज्ञान – 5	30(अना/ईडबल्यूएस/अपिव श्रेणी) 27 (अजा/अजजा श्रेणी)	कक्षा 10वीं का पाठ्यक्रम
(कख)	भाग II	अधिकतम अंक – 50	गणित – 25	20 (अना/ईडबल्यूएस/अपिव श्रेणी)	कक्षा 12वीं

		समय – 30 मिनट प्रश्नों की कुल संख्या – 50	भौतिकी– 25	17 (अजा/अजजा श्रेणी)	गणित एवं भौतिकी का पाठ्यक्रम
(कग)	भाग III	अधिकतम अंक – 50 समय – 30 मिनट प्रश्नों की कुल संख्या – 50	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग-50	20 (अना/ईडबल्यूएस /अपिव श्रेणी) 17 (अजा/अजजा श्रेणी)	डिप्लोमा स्तर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम
(कघ)	भाग IV	अधिकतम अंक – 50 समय – 30 मिनट प्रश्नों की कुल संख्या – 50	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग-50	20 (अना/ईडबल्यूएस /अपिव श्रेणी) 17 (अजा/अजजा श्रेणी)	डिप्लोमा स्तर का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम
(कङ)	भाग V	अधिकतम अंक – 50 समय – 30 मिनट प्रश्नों की कुल संख्या – 50	मैकेनिकल इंजीनियरिंग-50	20 (अना/ईडबल्यूएस /अपिव श्रेणी) 17 (अजा/अजजा श्रेणी)	डिप्लोमा स्तर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम

(v) **<u>अंकों का सामान्यीकरण</u>.** अलग-अलग पारियों में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को सांख्यिकीय पद्धति के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से तर्कसंगत बनाने के लिए परिणाम घोषित होने से पूर्व, अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को निम्नलिखित सूत्र द्वारा सामान्यीकृत किया जाएगा :-

$$M_{ij} = \frac{M_t^g - M_q^g}{M_{ti} - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^{gm}$$

जहाँ**:**

M_{ij} = i**वीं** पारी में jवें अभ्यर्थी के सामान्यीकृत अंक

M_t^g = सभी पारियों पर विचार करते हुए शीर्ष 0.1% अभ्यर्थियों के औसत अंक हैं। (अभ्यर्थियों की संख्या को राउंड अप किया जाएगा)

M_q^g= सभी पारियों पर विचार करते हुए परीक्षा में अभ्यर्थियों के माध्य तथा मानक विचलन अंकों का योग है।

M_{ti} = i**वीं** पारी में शीर्ष 0.1% अभ्यर्थियों के औसत अंक हैं। (अभ्यर्थियों की संख्या को राउंड अप किया जाएगा)

M_{iq} = i**वीं** पारी के माध्य अंक तथा मानक विचलन का योग है।

M_{ij} = i**वीं** पारी में jवें अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त वास्तविक अंक हैं।

M_q^{gm} =सभी पारियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों के अधिकत्तम माध्य एवं मानक विचलन वाली पारी में अभ्यर्थियों के माध्य अंकों का योग है।

नोट : (कक) प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा जिसमें प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को सही विकल्प का चयन करना है।

(कख) ऋणात्मक अंकन नहीं है।

(कग) सभी भागों का विस्तृत पाठ्यक्रम भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ख) **चरण-II** कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में प्रदर्शन तथा भारतीय तटरक्षक भर्ती केंद्रों की संचालन क्षमता के आधार पर अभ्यर्थियों को चरण–II के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तथा अनंतिम ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। सीजीईपीटी-01/26 तथा सीजीईपीटी-02/26 बैच के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए चरण–II अलग-अलग आयोजित किया जाएगा। **ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए, अभ्यर्थियों को भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट पर उल्लिखित निश्चित अवधि के भीतर नीचे दिए गए पैरा 7 (ङ) में उल्लिखित अतिरिक्त दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। भारतीय तटरक्षक द्वारा प्रख्यापित समय सीमा के भीतर तिथि और केंद्र का चयन एवं अतिरिक्त दस्तावेज़ अपलोड करने में विफल होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। चरण- II परीक्षा के लिए तिथि और केंद्र का आवंटन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर होगा।** चरण- II की अवधि 1-2 दिन है तथा यह आवंटित केंद्र पर आयोजित की जाएगी। चरण- II में निम्नलिखित परीक्षाएं शामिल होंगी जो केवल मात्र अहर्ता मूलक होंगी :-

(i) **बुनियादी पहचान जांच एवं बायोमेट्रिक सत्यापन**. चरण-II के लिए रिपोर्ट करने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश द्वार पर बुनियादी पहचान जांच के बाद भारतीय तटरक्षक भर्ती केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी एवं आगे बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया उपर्युक्त पैरा 6(क)ii में वर्णित है। जिन अभ्यर्थियों की पहचान प्रवेश द्वार पर सत्यापित नहीं की जा सकती है, उन्हें भारतीय तटरक्षक भर्ती केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं बाद में उन्हें भर्ती प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(ii) **मूल्यांकन परीक्षण**. बायोमेट्रिक सत्यापित अभ्यर्थियों को ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा मात्र अहर्ता मूलक है इसमें प्राप्त अंक अंतिम मेरिट सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। हालांकि जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे ही परीक्षा के अगले चरण में अर्थात शारीरिक स्वस्थता परीक्षा (पीएफटी) में जाएंगे। इस परीक्षा का परिणाम परीक्षा के आयोजन के एक घंटे बाद घोषित किया जाएगा।

(iii) **शारीरिक स्वस्थता परीक्षा (पीएफटी).** शारीरिक स्वस्थता परीक्षा (पी एफ टी) से गुजरने वाले अभ्यर्थी अपने जोखिम पर इस परीक्षा में भाग लेंगे। सभी उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे स्पोर्ट्स रिग (जूते, टी-शर्ट, ट्राउजर इत्यादि) अपने पास रखें। शारीरिक स्वस्थता परीक्षा इस प्रकार होगी :-

(कक) 7 मिनट में 1.6 किमी की दौड़ पूरी करना

(कख) 20 ऊठक - बैठक (स्क्वैट अप्स)

(कग) 10 पुश-अप

शारीरिक स्वस्थता परीक्षण के सभी तीनों परीक्षण बिना रुके लगातार संचालित किए जाएंगे। तीनों परीक्षण में किसी के भी दौरान विश्राम लेने की स्थिति में अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा।

(iv) **दस्तावेज़ सत्यापन**. ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी जानकारी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी मूल दस्तावेजों जैसे कक्षा 10वीं/ कक्षा12वीं/डिप्लोमा की अंकसूची/पहचान प्रमाण (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेंस **या** पासपोर्ट) श्रेणी प्रमाण पत्र/ हर एक विषय तथा कुल अंकों /सीजीपीए (जैसा लागू हो), अधिवास प्रमाण पत्र से मेल खानी चाहिए। अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन में अनंतिम रूप उत्तीर्ण या अनंतिम रूप से अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थी

द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, अपलोड किए गए दस्तावेज़ एवं नाम, जन्मतिथि, अभिभावकों के नाम, विषयवार अंक/सीजीपीए (जैसा लागू हो), दस्तावेजों की वैधता, श्रेणी (जाति) प्रमाण पत्र विवरण अधिवास प्रमाण पत्र आदि के संदर्भ में सत्यापन हेतु चरण-II में प्रस्तुत किए मूल दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की विसंगति/भिन्नता/ त्रुटि दस्तावेज़ सत्यापन में विफलता का कारण बनेगी तथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। **सभी दस्तावेजों को जारी करने की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि या उससे पहले की कोई तिथि होनी चाहिए।** सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों की वैधता कम से कम **31 जुलाई 26** तक होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी असत्य घोषणा से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। अस्वीकरण के सामान्य कारणों को https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/downloads/commonReasonForRejection. (बिना स्पेस दिए) पर जाँचा जा सकता है।

(v) **भर्ती चिकित्सा परीक्षा.** भर्ती चिकित्सा अधिकारी निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सा फिटनेस के लिए अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेगा तथा उन्हें योग्य (फिट)/ अयोग्य (अनफिट) घोषित करेगा। दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा भले ही दस्तावेज़ सत्यापन में अभ्यर्थी योग्य हो। भर्ती चिकित्सा परीक्षा में चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाए गए अभ्यर्थी जो अपील करना चाहते हैं, उन्हें तुरंत किसी निर्दिष्ट सैन्य अस्पताल (भारतीय तटरक्षक द्वारा आवंटित) को रैफर किया जाएगा। **ऐसे अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट सैन्य अस्पताल (भारतीय तटरक्षक द्वारा आवंटित) में रिपोर्ट करना होगा तथा जल्द से जल्द अपील चिकित्सा पूर्ण करना होगा।** अपील चिकित्सा परीक्षा को अंतिम माना जाएगा तथा अभ्यर्थी को किसी अन्य अथवा उसी अस्पताल में दोबारा अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

नोट:

(क क) चरण-II भर्ती केंद्र पर भर्ती चिकित्सा परीक्षा में फिट घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भारतीय तटरक्षक द्वारा दस्तावेजों की आगे की जाँच के दौरान दस्तावेज़ सत्यापन में अयोग्य घोषित किया जा सकता है क्योंकि चरण-II के आयोजन के बाद/अंतिम मेरिट/ परिणाम के प्रकाशन से पहले तक भी भर्ती प्रक्रिया के कई चरणों में दस्तावेज़ सत्यापन किया जाता है जैसा कि निम्नलिखित पैरा 13 (ज्ञ) में उल्लेखित है।

(क ख) भर्ती चिकित्सा परीक्षा, अपील चिकित्सा परीक्षा एवं नामांकन से पूर्व चिकित्सा परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी को योग्य या अयोग्य घोषित होने पर भर्ती चिकित्सा अधिकारी एवं सशस्त्र सैन्य अस्पतालों (भारतीय तटरक्षक द्वारा आवंटित) के विशेषज्ञ चिकित्सक अंतिम प्राधिकारी हैं।

(क ग) चरण –II की सभी परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर चरण-III के लिए अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के लिए विचार किया जाएगा।

(vi) **चरण –III के लिए अंतिम मेरिट सूची तैयार करना.** भारतीय तटरक्षक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का पुन: सत्यापन (अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति में) करेगा तथा मेरिट तैयार करने के लिए केवल उन अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा जो दस्तावेज़ सत्यापन में अंतिम रूप से अर्हता प्राप्त करेंगे तथा भर्ती/अपील चिकित्सा परीक्षा में फिट घोषित किए जाएंगे। सभी चरणों में अहर्ता प्राप्त करने वाले तथा इस विज्ञापन में उल्लिखित अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों, नाविक (जीडी) तथा नाविक (डीबी) के लिए (क्षेत्रवार तथा श्रेणीवार) एवं यांत्रिक के लिए अखिल भारतीय (श्रेणीवार) पृथक रूप से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सीजीईपीटी-01/26 तथा सीजीईपीटी-02/26 बैच के लिए अलग अलग मेरिट सूची तैयार की जाएगी। नाविक (जी डी) के पद के लिए सीजीईपीटी-01/26 या सीजीईपीटी-02/26 बैच में अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग

मेरिट के क्रम एवं उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर भारतीय तटरक्षक का निर्णय होगा। अभ्यर्थी किसी विशेष बैच में अपने चयन का दावा नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम केवल चरण -I में प्राप्त अंकों एवं उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर होगा। चरण -I में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में मेरिट में टाई ब्रेकिंग (निर्णायक) नियम इस प्रकार है [जहां कहीं भी टाई ब्रोकन (निर्णायक काल) होगा, अगला चरण नहीं होगा :-

(क क) भाग –I में अभ्यर्थी अधिक अंक प्राप्त कर रहा है।

(क ख) अधिक आयु का अभ्यर्थी मेरिट में उच्च होगा।

(ग) **<u>चरण-III.</u>** जो अभ्यर्थी चरण-I तथा चरण-II में अर्हता प्राप्त करते हैं तथा उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार मेरिट में आते हैं, उन्हें आईएनएस चिल्का में प्रशिक्षण के लिए अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तथा उन्हें अनंतिमई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। चरण-III, प्रत्येक संवर्ग के लिए संबंधित बैच अर्थात सीजीईपीटी-01/26 में नाविक (जीडी) तथा यांत्रिक एवं सीजीईपीटी-02/26 बैच में नाविक (जीडी) तथा नाविक (डीबी) के लिए अलग अलग आयोजित किया जाएगा। चरण-III की अवधि 1-2 दिन है। साथ ही, आईएनएस चिल्का एक नौसेना प्रशिक्षण संस्थान है, इसलिए तटरक्षक अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान पर प्रचलित सत्यापन प्रक्रिया लागू है । चरण-III में निम्नलिखित सम्मिलित है :-

(i) **<u>मूल पहचान जाँच:-</u>** आईएनएस चिल्का में रिपोर्टिंग की तिथि एवं रिपोर्टिंग समय पर आधार आधारित सत्यापन के बाद बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा।

(ii) **<u>दस्तावेज़ सत्यापन (अनंतिमरूप से 'उत्तीर्ण' या अनुत्तीर्ण').</u>** ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी जानकारी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी मूल दस्तावेजों जैसे कक्षा 10[वीं]/कक्षा 12[वं]/ डिप्लोमा की अंकसूची/ पहचान प्रमाण (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेंस **या** पासपोर्ट) अधिवास प्रमाण पत्र/ श्रेणी (जाति) प्रमाण पत्र/ हर एक विषय एवं कुल अंकों/सीजीपीए (जैसा लागू हो) से मेल खानी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, अपलोड किए गए दस्तावेज़ एवं नाम, जन्मतिथि, अभिभावकों के नाम, विषयवार अंक/सीजीपीए (जैसा लागू हो), दस्तावेजों की वैधता, श्रेणी (जाति) प्रमाण पत्र विवरण आदि के संदर्भ में सत्यापन हेतु चरण-II में प्रस्तुत किए मूल दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की विसंगति/भिन्नता/ त्रुटि दस्तावेज़ सत्यापन में विफलता का कारण बनेगी तथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। सभी दस्तावेजों को जारी करने की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि या उससे पहले की कोई तिथि होनी चाहिए। सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों की वैधता कम से कम **31 जुलाई 26** तक होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी असत्य घोषणा से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। अस्वीकरण के सामान्य कारणों को https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/downloads/commonReasonForRejection. (बिना स्पेस दिए) पर जांचा जा सकता है।

(iii) **<u>आईएनएस चिल्का में नामांकन पूर्व चिकित्सा परीक्षा.</u>** भर्ती चिकित्सा अधिकारी द्वारा सभी चयनित अभ्यर्थियों की नामांकन पूर्व चिकित्सा परीक्षा आईएनएस चिल्का में की जाएगी। नामांकन पूर्व चिकित्सा परीक्षा का आयोजन चरण-II भर्ती प्रक्रिया के दौरान आयोजित भर्ती चिकित्सा परीक्षा तथा अभ्यर्थियों की आईएनएस चिल्का में रिपोर्टिंग की तारीख के मध्य के समय के अंतराल पर निर्भर करेगा।

(iv) **<u>मूल दस्तावेज, पुलिस द्वारा सत्यापन और अन्य संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करना</u>**. सभी अभ्यर्थियों को चरण-III में ई प्रवेश पत्र के साथ मूल दस्तावेज, पुलिस सत्यापन प्रपत्र एवं अन्य संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थियों को अधिवास के स्थान या वर्तमान निवास स्थान से पुलिस सत्यापन प्राप्त करना होगा जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास सत्यापित

पुलिस सत्यापन रिपोर्ट नहीं है अथवा प्रतिकूल टिप्पणियों वाली रिपोर्ट वाले अभ्यर्थी नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ग) **चरण IV:** आईएनएस चिल्का में प्रशिक्षण लेने से पूर्व अभ्यर्थियों को चरण- ।।। के दौरान सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे तथा भारतीय तटरक्षक द्वारा संबंधित बोर्ड /विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार से मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। यदि दिए गए दस्तावेजों को संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार द्वारा वास्तविक नहीं बताया जाता है, तो अभ्यर्थी को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

7. **आवेदन कैसे करें**

(क) आवेदन **दिनांक 11 जून 25 (1100 बजे) से 25 जून 25 (2330 बजे) तक 'केवल ऑनलाइन'** स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को **https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/** में लॉगिन करना होगा तथा ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर के साथ खुद को पंजीकृत करने के निर्देशों का पालन करना होगा। **अभ्यर्थियों को अपना पंजीकृत ई-मेल आई डी और मोबाईल नंबर स्मरण रखना है जो कि आवेदन फॉर्म में एंक्रिप्टेड होगा।** यदि अभ्यर्थी अपना ई-मेल या मोबाईल नंबर भूल जाते हैं, तो वह अभ्यर्थी डेशबोर्ड में लॉगिन नहीं कर सकेंगे और न ही ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे या अपना परिणाम देख सकेंगे और इसके लिए भारतीय तटरक्षक उत्तरदायी नहीं होगा। पंजीकृत ई-मेल या मोबाईल नंबर को पुनः प्राप्त करने संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नही किया जाएगा।

(ख) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरने के लिए https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/selectionInformation/guidelines/fillingOnlineApplication. पर उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

(ग) अभ्यर्थियों को वेबसाइट https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/faqs. पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफ ए क्यू) का पालन करना होगा।

(घ) **अभ्यर्थी केवल एक पद जैसे कि या तो नाविक (जीडी) या नाविक (डी बी) या यांत्रिक (मेकेनिकल) या यांत्रिक (इलेक्ट्रिकल) या यांत्रिक (इलेक्ट्रॉनिक्स) के लिए आवेदन कर सकता है।** यदि अभ्यर्थी एक विशेष भर्ती चक्र में एकाधिक आवेदन भरता है, उसका नवीनतम भरा हुआ आवेदन स्वीकार किया जाएगा तथा पूर्व में भरे गए सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। हालाँकि, भरे गए एक से अधिक आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की आगे पात्रता के लिए जाँच की जाएगी तथा किसी भी चरण में किसी भी लिहाज से अपात्र पाए जाने पर इसे अस्वीकार किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए अभ्यर्थी icgcell@cdac.in पर ईमेल के माध्यम से तथा टेलीफोन नंबर 020-25503108/ 020-25503109 के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

(ङ) **भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़.** अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ दो चरणों में अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थियों को पद के लिए लागू मूल दस्तावेजों **(न तो फोटोकोपी और न ही स्व-सत्यापित फोटोकोपी)** को स्कैन करना होगा तथा भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान नीचे बताए अनुसार अपलोड करना होगा।

(i) **सभी अभ्यर्थियों द्वारा चरण-। से पूर्व ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपलोड किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज़**

(क क) पासपोर्ट आकार का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ (**आवेदन खुलने की तारीख से तीन महीने पहले से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए**) (केवल सिखों को छोड़कर, सिर पर बिना कुछ पहने हल्के बैकग्राउंड में सामने का चित्र) फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होने चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा सही फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया गया तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(क ख) **पंजीकरण के दौरान लाइव इमेज कैप्चर** - पंजीकरण के दौरान अभ्यर्थी को नवीनतम फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण के दौरान अभ्यर्थी की लाइव इमेज खींची जाएगी। अपलोड की गई फोटो में अभ्यर्थी के चेहरे की विशेषताओं का वास्तविक समय की फोटो से मिलान किया जाएगा। अपलोड की गई फोटो तथा लाइव फोटो मिलान की स्थिति में ही अभ्यर्थी आवेदन जमा कर सकेंगे।

(क ग) अभ्यर्थी के स्कैन किए गए हस्ताक्षर की छवि

(क घ) जन्मतिथि प्रमाण (10वीं कक्षा अंकसूची **या** जन्म प्रमाणपत्र)

(क ड़) पहचान प्रमाण (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेन्स **या** पासपोर्ट)

(क च) यदि अभ्यर्थी सेवारत तटरक्षक कार्मिक या तटरक्षक असैन्य कार्मिक है, तो सेवा प्रमाणपत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र

(क छ) क्षेत्रवार भर्ती के लिए अभ्यर्थी के क्षेत्र के निर्धारण के लिए नाविक (जी डी) तथा नाविक (डी बी) के पद के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा एक वैध अधिवास प्रमाणपत्र अपलोड किया जाना है। **जिन राज्यों में दोनों प्रमाण पत्र अर्थात अधिवास प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, केवल अधिवास प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा।**

(क ज) यांत्रिक के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यदि चिकित्सा मानकों जैसे कि लंबाई में छूट चाहते हैं, तो उन्हें केवल तभी अधिवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

(ii) **<u>चरण-II के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़.</u>** यदि अभ्यर्थी को चरण II भर्ती प्रक्रिया के लिए शार्टलिस्ट किया जाता है, तो उसे निम्नलिखित प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे :-

(क क) **सभी अभ्यर्थी .**

(क क क) श्रेणी प्रमाण पत्र {अजा/अजजा/अपिव (नॉन क्रीमी लेयर)/ईडब्लूएस}

(क क ख) 10वीं कक्षा की अंकसूची

(क क ग) 10 वीं कक्षा का प्रमाण पत्र

(क क घ) 10 वीं कक्षा की अतिरिक्त मार्कशीट (यदि लागू हो)

(क क ङ) 10वीं कक्षा हेतु सीजीपीए/ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र (यदि लागू हो)

(क क च) यदि अभ्यर्थी नियोजित है, तो सरकारी संगठन से अनापत्ति प्रमाण पत्र। अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि या उसके बाद का होना चाहिए।

(क ख) **<u>नाविक (जीडी) अभ्यर्थी .</u>**

(क ख क) 12 वीं कक्षा की अंकसूची

(क ख ख) 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र

(क ख ग) 12वीं कक्षा हेतु सीजीपीए/ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र (यदि लागू हो)

(क ख घ) 12वीं कक्षा की अतिरिक्त मार्कशीट (यदि लागू हो)।

(क ग) **<u>यांत्रिक अभ्यर्थी .</u>**

(क ग क) 12 वीं कक्षा की अंकसूची (यदि पूर्ण है)

(क ग ख) 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र (यदि पूर्ण है)

(क ग ग) डिप्लोमा के सभी वर्षों/सेमेस्टर की अंकतालिका

(क ग घ) डिप्लोमा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र

(क ग ङ) 12वीं कक्षा हेतु सीजीपीए/ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र (यदि लागू हो)

(क ग च) डिप्लोमा हेतु सीजीपीए/ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र (यदि लागू हो)

(क ग छ) 12वीं कक्षा/डिप्लोमा की अतिरिक्त मार्कशीट (यदि लागू हो)।

नोट- (i) अपने कोटे का लाभ ले रहे अजा/अजजा/अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदकों के मामले में, उनके ऑनलाइन आवेदन में दिया गया वर्तमान या स्थायी पता उनके वर्ग (जाति) प्रमाण पत्र {अजा/अजजा/अपिव (नॉन-क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस} प्रमाण पत्र में उल्लिखित पते के समान होना चाहिए।

(ii) ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र **भारत सरकार के फॉर्मेट** के अनुसार होना चाहिए। फॉर्मेट भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट **https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/** पर उपलब्ध है**(कोई अन्य फॉर्मेट स्वीकार नहीं किया जाएगा)**।

(iii) अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र भारत सरकार के अधीन पद पर नियुक्ति से संबंधित फॉर्मेट के अनुसार होना चाहिए और आगे के ऑनलाइन सत्यापन के लिए क्यू आर/बार कोड अंकित किया हुआ होना चाहिए। अपिव (नॉन क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र का फॉर्मेट भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट **https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/**पर उपलब्ध है।

(कोई अन्य फॉर्मेट स्वीकार नहीं किया जाएगा) अन्य कोई फॉर्मेट अभ्यर्थिता रद्द करने का कारण बनेगा।

(iv) **अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेजों का आकार 50 केबी से 150 केबी के मध्य होना चाहिए।**

(v) 'ऑनलाइन आवेदन के दौरान' तथा 'चरण-II के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों' {अजा/अजजा/अपिव (नॉन- क्रीमी)/ईडब्ल्यूएस/अंकसूची/शैक्षिक प्रमाणपत्र/ पहचान प्रमाण} के जारी होने की तारीख **चरण-II के आयोजन की तिथि** या उससे पूर्व होनी चाहिए तथा दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान सभी दस्तावेजों की वैधता **31 जुलाई 26** तक होनी चाहिए।

(vi) अपलोड किए गए सभी दस्तावेज़ हिंदी या अंग्रेजी में होने चाहिए। यदि दस्तावेज़ अंग्रेजी या हिंदी के अलावा अन्य किसी भाषा में हैं, तो अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज़ तथा उसका अंग्रेजी अनुवाद दोनों अपलोड करना होगा।

(vii) दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान धुंधली फोटो, धुंधले हस्ताक्षर तथा अपलोड किए गए अस्पष्ट दस्तावेजों वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। अपलोड किए गए दस्तावेजों में छवियों की स्पष्टता अनिवार्य है। अपलोड किए गए दस्तावेजों की छवियों की स्पष्टता में किसी भी विसंगति या असामान्यता के कारण अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।अपलोड किए गए दस्तावेज़ सुपाठ्य, पढ़ने योग्य और पूर्ण होने चाहिए अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। पूरे दस्तावेज़ को स्कैन करके अपलोड किया जाना है, उदा. यदि जन्मतिथि प्रमाणपत्र या श्रेणी प्रमाण पत्र या पहचान प्रमाण (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेंस **या** पासपोर्ट) या कक्षा 10$^{वीं}$ या कक्षा 12$^{वीं}$ में दो या अधिक पृष्ठ हैं, तो सभी पृष्ठों को एक फाइल में मर्ज कर दिया जाएगा तथा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया जाएगा। अपूर्ण या आंशिक रूप से स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(viii) **ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ केवल .जेपीईजी (.jpeg) या . जेपीजी (.jpg) प्रारूप में होने चाहिए।**

(च) **परीक्षा शुल्क**. अभ्यर्थियों को (अजा/अजजा श्रेणी की रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को छोड़कर, जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट दी गई हो) **300/- (तीन सौ रुपए मात्र)** नेट बैंकिंग का उपयोग करते हुए या वीजा/मास्टर/ मेस्ट्रो/रुपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड/ यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन मोड पर करना होगा। परीक्षा के लिए ई-प्रवेश पत्र केवल उन्हीं आवेदकों को जारी किया जाएगा जिन्होंने परीक्षा शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक कर दिया हो और जो परीक्षा शुल्क माफी के हकदार हो।

नोट:- (i) एक बार भुगतान के बाद किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं किया जाएगा तथा ना ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए इस शुल्क को जमा रखा जाएगा।

(ii) अजा/अजजा श्रेणी के अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क में माफी के हकदार होंगे। यदि यह पाया जाता है कि परीक्षा शुल्क में छुट/लागू अन्य किसी रियायत की छूट का दावा करने के लिए असत्य अजा/अजजा श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, तो भर्ती/प्रशिक्षण के किसी भी चरण में अभ्यर्थी को सेवामुक्त/अस्वीकृत किया जा सकता है।

(iii) यदि अभ्यर्थी ने शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया है तथा उसके बैंक खाते से पैसे कट गए हैं (अर्थात असफल भुगतान), तो वह कृपया यह जाँच ले की क्या लेनदेन संबंधी मूल खाते में शुल्क स्वत: वापस आ गया है अथवा अपने खाते में पैसे की स्वत: वापसी हेतु 15 कार्य दिवस प्रतीक्षा करे तथा मूल खाते में लेनदेन की स्थिति जाँच ले।

(iv) यदि एक अभ्यर्थी से एक आवेदन के लिए एक से अधिक भुगतान प्राप्त किए जाते हैं, तो वह वापस नहीं किए जाएंगे।

(छ) **<u>परीक्षा केंद्र शहर</u>** – अभ्यर्थी को चरण-। प्रक्रिया के लिए परीक्षा केंद्र के रूप में आवेदन में पांच प्राथमिकताएँ देनी होंगी। अभ्यर्थियों को पहली पसंद वर्तमान/संचार पते से निकटतम भरनी होगी।चरण - ॥ के लिए शॉर्ट्लिस्ट होने पर अभ्यर्थी को चरण- ॥ के लिए दिनांक एवं केंद्र चयन का विकल्प दिया जाएगा । चरण-। और चरण- ॥ के लिए एक बार परीक्षा केंद्र आवंटित होने के बाद किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

नोट- चरण-। और चरण-॥ के लिए परीक्षा केंद्र आवंटित करने का अधिकार भारतीय तटरक्षक सुरक्षित रखता है, जो कि अभ्यर्थी के दिए गए विकल्पों के अनुसार हो भी सकते हैं, या नहीं भी।

8. परीक्षा एवं ई प्रवेश पत्र डाउनलोडिंग की संभावित समय सारणी। परीक्षा की संभावित तिथियाँ निम्नलिखित है:-

बैच	**परीक्षा के लिए संभावित तिथियाँ**		
	चरण-।	**चरण**-॥	**चरण**-।॥
सीजीईपीटी-01/26	सितंबर 2025 के मध्य/अंत में	नवंबर 2025 के मध्य/अंत में	फरवरी 26 के अंत में
सीजीईपीटी-02/26		फरवरी 26 के मध्य/अंत में	जुलाई 26 के अंत में

नोट:

(i) चरण – ।, ॥ एवं ।॥ के लिए ई प्रवेश पत्र डाउनलोड हेतु उपलब्ध होने पर भारतीय तटरक्षक द्वारा तिथि की घोषणा की जाएगी। अभ्यर्थियों को दैनिक रूप से भारतीय तटरक्षक भर्ती की वेबसाइट विजिट करने तथा विभिन्न चरणों के लिए ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु संबंधित लॉगिन आई डी से लॉगिन करने का निर्देश दिया जाता है।

(ii) चरण-। के कम से कम 10 दिन पहले अभ्यर्थी के लॉगिन पर परीक्षा शहर प्रदर्शित किया जाएगा। परीक्षा केंद्र के सटीक पते के साथ ई प्रवेश पत्र अभ्यर्थी के लॉगिन में उपलब्ध होगा तथा परीक्षा से **<u>02-03</u>** दिन पहले केवल पंजीकृत ईमेल आईडी पर ईमेल भेजा जाएगा।

(iii) ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में विफल होने तथा विभिन्न भर्ती चरणों के लिए रिपोर्ट न करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी वेबसाइट पर चरण-।, ॥ तथा ।॥ के लिए ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने संबंधित महत्वपूर्ण भर्ती सूचनाओं की दैनिक आधार पर नियमित जाँच करने में विफल रहता है, तो भारतीय तटरक्षक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

9. **<u>परिणाम की घोषणा.</u>**

(i) भारतीय तटरक्षक भर्ती की वेबसाइट पर अभ्यर्थी के अकाउंट में लॉगिन करके चरण- । से चरण- ।॥ तक चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का परिणाम देखा जा सकता है। चरण-।ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम अस्थाई रूप से 30 दिनों में घोषित किया जाएगा। इसके अलावा चरण- ।, ॥ तथा ।॥ में कदाचार में शामिल पाए गए अभ्यर्थियों को उनके प्राप्त अंकों के बारे में सूचित नहीं किया जाएगा तथा संबंधित पद तथा श्रेणी की कट ऑफ प्रदर्शित नहीं की जाएगी।

(ii) सीजीईपीटी-01/26 तथा सीजीईपीटी-02/26 बैच के लिए चरण- । तथा चरण –॥ का परिणाम अलग-अलग घोषित किया जाएगा तथा यहअभ्यर्थी के डैशबोर्ड में उपलब्ध रहेगा जिसे भारतीय तटरक्षक भर्ती वेबसाईट पर अभ्यर्थी द्वारा अपनी लॉगिन आई डी से लॉगिन करके देखा जा सकता है।

10. **<u>प्रत्येक चरण पर आवश्यक दस्तावेजों की सूची</u>** परीक्षा के किसी भी चरण पर डिजिलॉकर के रूप में दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि परीक्षा परिसर/केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। अभ्यर्थियों को सीजीईपीटी परीक्षा के सभी चरणों पर अपने मूल दस्तावेजों को लाना होगा।

<u>चरण - I</u>

(क) वैध मूल पहचान प्रमाण (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेंस **या** पासपोर्ट) जैसा ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत/अपलोड किया गया है।

(ख) ई प्रवेश पत्र का 01 प्रिंट आउट (ई प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब अभ्यर्थी का फोटो तथा अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हों/पठनीय हो)।

(ग) ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटोग्राफ के समान चेहरे की विशेषताओं वाले पासपोर्ट आकार के 02 रंगीन फोटोग्राफ।

(घ) **<u>अजा/अजजा श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए</u>**. ई प्रवेश पत्र का 01 अतिरिक्त प्रिंट आउट, मूल श्रेणी प्रमाण पत्र तथा अजा/अजजा प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित दो फोटोकोपी, मूल रेल/बस टिकट, एनईएफटी भुगतान के लिए रद्द चेक पत्र तथा टीए का दावा करने के लिए वेबसाइट से डाउनलोड किया गया यात्रा फार्म। टैक्सी अथवा अन्य किसी यातायात के साधन का किराया अनुमत नहीं है।

<u>चरण II</u>

(क) "ऑनलाइन आवेदन तथा चरण-I तथा चरण-II के ई प्रवेश पत्र" का प्रिंट आउट (प्रिंट आउट केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब अभ्यर्थी का फोटो तथा अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हों/पठनीय हो)।

(ख) पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेन्स **या** पासपोर्ट) जैसा कि ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत/अपलोड किया गया है।

(ग) ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा चरण-II के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद अभ्यर्थी लॉगिन में प्रस्तुत/अपलोड किए गए मूल दस्तावेज़।

(घ) सभी मूल दस्तावेजों की विधिवत स्व-सत्यापित दो फोटोकॉपी ।

(ङ) आवेदन में प्रस्तुत पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ की 12 प्रतियाँ चेहरे की समान विशेषताओं के साथ ।

(च) किसी भी सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सेवारत अभ्यर्थी के लिए नियोक्ता द्वारा जारी मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा उसकी स्व-सत्यापित 02 फोटोकॉपी (यदि लागू हो)।

<u>चरण III</u>

(क) "ऑनलाइन आवेदन तथा चरण-III के ई प्रवेश पत्र" का प्रिंट आउट (प्रिंट आउट केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब अभ्यर्थी का फोटो तथा अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हों/पठनीय हो)।

(ख) ऑनलाइन आवेदन पत्र में तथा चरण ।।। के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद अभ्यर्थी लॉगिन में प्रस्तुत/अपलोड किए गए मूल दस्तावेज़।

(ग) सभी मूल दस्तावेजों की विधिवत स्व-सत्यापित तीन फोटोकॉपी।

(घ) आवेदन में प्रस्तुत पासपोर्ट आकार की 30 रंगीन फोटोग्राफ चेहरे की समान विशेषताओं के साथ

(ङ) नीली पृष्ठभूमि के साथ 3.5 सेमी x 2.5 सेमी आकार का रंगीन फोटोग्राफ – (10 प्रतियां)

(च) माता/पिता की इच्छुकता संबंधी प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो फोटोकॉपी)

(छ) पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो फोटोकॉपी)

(ज) परिवार के विवरण से संबंधित प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो फोटोकॉपी)

(झ) चरित्र प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो फोटोकॉपी)

(ण) इच्छुकता संबंधी प्रमाणपत्र - (एक मूल प्रति एवं दो फोटोकॉपी)

(ट) साक्ष्यांकन प्रपत्र (संवर्ग के नाम के साथ) – (03 मूल प्रतियां)

(ठ) वर्तमान में किसी सरकारी संगठन में कार्यरत अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र और सतर्कता प्रमाणपत्र की मूल प्रति, चार प्रतियों के साथ प्रस्तुत करनी होंगी।

(ड) पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड **या** पैन कार्ड **या** मतदाता पहचान पत्र **या** ड्राइविंग लाइसेन्स **या** पासपोर्ट) जैसा कि ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत/अपलोड किया गया है।

नोट: (i) चरण-।।। की क्रम संख्या (च) से क्रम संख्या (ट) तक का फॉर्मेट भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/downloads/documentsRequired/stage3 पर उपलब्ध हैं।

(ii) चरण ।, ।। तथा ।।। के दौरान उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफल होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(iii) सभी प्रतियों को अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर कर स्व-सत्यापित किया जाए। प्रतियों में अभ्यर्थी के नाम एवं अनुक्रमांक का विवरण होना चाहिए।

(iv) **बैंक खाता खोलने तथा स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या उत्पन्न करने के लिए चरण-।।। में आधार कार्ड तथा आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर अनिवार्य है।**

11. **चिकित्सा मानक**

(क) भर्ती कार्मिकों के प्रवेश के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के वर्तमान विनियमों के अनुसार प्राधिकृत **रक्षा बलों के सैन्य चिकित्सकों** द्वारा चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(ख) **लंबाई** न्यूनतम लंबाई 157 सेमी. है। असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम के अधिवास वाले और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की स्थानीय जनजाति वाले अभ्यर्थियों हेतु लंबाई मानकों को 157 सेमी. से 05 सेमी तक कम किया जा सकता है। गोरखाओं के लिए भी

05 सेमी की कटौती लागू है। लक्षद्वीप के अधिवास वाले अभ्यर्थियों हेतु लंबाई मानक 02 सेमी तक कम किया जा सकता है।

(ग) **सीना** आनुपातिक होना चाहिए । न्यनूतम फुलाव 5 सेमी।

(घ) **वजन** आयु तथा लंबाई के अनुसार ± 10 प्रतिशत स्वीकार्य ।

(ङ) **श्रव्यशक्ति** सामान्य।

नोट:-

(i) अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे चिकित्सीय परीक्षण से पूर्व अपने कान से मोम साफ करवा लें एवं दाँत से टार्टर निकलवा ले।

(ii) लंबाई में छुट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधिकारी को अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में लंबाई में छूट नहीं दी जाएगी।

(iii) विस्तृत चिकित्सा मानकों को https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/careerOpportunity/navik/gd पर जांचा जा सकता है।

(च) **टैटू.** शरीर के किसी भी हिस्से पर स्थायी टैटू की अनुमति नहीं होगी। हालांकि भारत सरकार के द्वारा घोषित जनजातीय क्षेत्रों के समुदायों के अभ्यर्थियों को कुछ रियायतें दी गई हैं। अन्य अभ्यर्थियों के लिए, शरीर पर स्थायी टैटू केवल बाहों के अंदरूनी हिस्से यानि कोहनी के अंदर से कलाई तक और हथेली के पीछे/हाथ के पीछे (पृष्ठीय) हिस्से पर ही स्वीकार्य है। इस संबंध में विवरण भारतीय तटरक्षक भर्ती कि वेबसाइट https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/assets/img/downloads/doc/Tattoo.pdf. पर उपलब्ध है।

नोट:- केवल उपरोक्त मेडिकल मानकों वाले अभ्यर्थी ही चयन के लिए उपस्थित हो। उपर्युक्त मानकों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। मेडिकल मानकों के संबंध में भारतीय तटरक्षक का आदेश ही अंतिम प्राधिकार होगा।

12. **प्रशिक्षण** सीजीईपीटी-01/26 के लिए मूलभूत प्रशिक्षण फरवरी 2026 तथा सीजीईपीटी-02/26 बैच के लिए मूलभूत प्रशिक्षण जुलाई 2026 में आई एन एस चिल्का में शुरू होगा जिसके बाद उन्हें समुद्री प्रशिक्षण तथा आवंटित ट्रेड में वृत्तिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मूलभूत प्रशिक्षण में प्रदर्शन तथा सेवा की आवश्यकतानुसार शाखा/ट्रेड का आवंटन किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान किसी भी समय उनकी प्रगति (जिसमें अकादमी संबंधी प्रगति भी शामिल है) या व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर अभ्यर्थियों को **अनुपयुक्त** करार देकर कार्यमुक्त किया जा सकता है। भर्ती के किसी भी चरण में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन या दस्तावेज असत्य पाये जाने पर भी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के किसी भी चरण पर सेवामुक्त किया जा सकता है।

13. **सामान्य दिशानिर्देश:-(जिनका पालन अभ्यर्थी द्वारा किया जाए अन्यथा ,अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी)**

(क) किसी अन्य सेवा प्रशिक्षण केंद्र से अनुशासनात्मक आधार पर निकाले गए अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं।

(ख) अभ्यर्थियों को गिरफ्तार, दोषी या अभ्यर्थियों पर आपराधिक आरोप का मामला किसी न्यायालय में लंबित नहीं होना चाहिए। आपराधिक कार्यवाहियों/एफआईआर पंजीकृत होने के बाद पुलिस जांच का सामना कर रहे अभ्यर्थियों को इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करने से विवर्जित किया जाता है।

(ग) ऑनलाइन आवेदन भरते समय के साथ ही साथ परीक्षा के विभिन्न चरणों/ चरण-IV तक चयन प्रक्रिया/ प्रशिक्षण अकादमी में शामिल होने तक अभ्यर्थी के खिलाफ किसी भी अदालत में , एफ आई आर दर्ज होने के बाद कोई भी आपराधिक मामला या पुलिस जाँच लंबित नहीं रहनी चाहिए। किसी भी अपराध के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार की आपराधिक अदालत में शामिल कोई भी अभ्यर्थी भारतीय तटरक्षक के किसी भी पद के लिए आवेदन करने के अयोग्य है तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि ऐसा पाया जाता है, तो अभ्यर्थी को आगे की भर्ती प्रक्रिया तथा प्रशिक्षण अकादमी से बर्खास्त/वंचित कर दिया जाएगा।

(घ) चरण-II के दौरान प्रस्तुत सभी मूल प्रमाणपत्र एवं अंकसूचियाँ सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी को वापस किए जाएंगे।, चरण-III के दौरान प्रस्तुत सभी मूल दस्तावेज एवं अंकसूची, अभ्यर्थी द्वारा चरण III-उत्तीर्ण होने पर भारतीय तटरक्षक अपने पास सुरक्षित रखेगा एवं अनुत्तीर्ण होने पर सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी को वापस किए जाएंगे।

(ङ) किसी विशेष बैच के लिए अभ्यर्थी का चयन केवल उसी बैच के लिए वैध होगा। ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनका नाम अंतिम चयन सूची में न हो, अगले बैच में प्रवेश का दावा नहीं कर सकते । ऐसे अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में नए सिरे से सम्मिलित होना होगा बशर्ते कि वे नए बैच के लिए पात्रता मानदंड पूरा करें।

(च) डाक द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(छ) चरण-II उत्तीर्ण कर चुके एवं रिक्तियों के अनुसार मेरिट क्रमसूची में स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों को ही चरण-III के लिए ई-प्रवेश पत्र भेजा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आईएनएस चिल्का के प्रशिक्षण संस्थान पर खुद के खर्च पर पहुँचना होगा।

(ज) **31 दिसंबर 2026** के बाद इस बैच की भर्ती/नामांकन के संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ का प्रत्युत्तर नहीं दिया जाएगा।

(झ) परीक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुशासनहीन गतिविधियों जिसमें नकल/अनाचार शामिल हैं, में लिप्त होने का परिणाम निरहर्ता होगा। नकल/अनाचार संबंधी मामलों में भारतीय तटरक्षक का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी अभ्यर्थियों पर बाध्य रहेगा।

(ङ) भारतीय तटरक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रतिरूपण को बहुत गंभीरता से लेता है। आवेदक तथा जाली अभ्यर्थी दोनों के विरुद्ध एफआईआर/आपराधिक कार्यवाही शुरु की जाएगी।

(ट) किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी तरह से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए या परीक्षा परिसर में अव्यवस्था पैदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करने वाले अभ्यर्थी को भारतीय तटरक्षक की वर्तमान तथा आगामी परीक्षाओं में उपस्थित होने से रोक दिया जाएगा। अभ्यर्थी की पात्रता, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (चरण –I)/ पीएफटी/मूल्यांकन परीक्षण/ शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा/ भर्ती चिकित्सा परीक्षा (चरण-II), दस्तावेज़ सत्यापन/आईएनएस चिल्का में नामांकन पूर्वचिकित्सा परीक्षा (चरण –III), मूल दस्तावेजों के सत्यापन (स्टेज-IV)

या अन्यथा के संबंध में भारतीय तटरक्षक का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थी पर बाध्य रहेगा। अभ्यर्थी जिनकी अभ्यर्थिता पिछले बैचों में कदाचार/दुर्व्यवहार के कारण रद्द कर दी गई थी, वे आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं।

(ठ) नामांकन से पूर्व, आवेदन तथा मूल दस्तावेजों की पात्रता के लिए आगे समीक्षा की जाएगी तथा यदि भर्ती के किसी भी चरण में और सेवा में शामिल होने के बाद भी किसी भी रूप से अभ्यर्थी अपात्र पाया गया तो उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ड) ऐसे 'खुले विद्यालय' जो एआईसीटीई/ सीओबीएसई से मान्यता प्राप्त नहीं हैं, के अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे ।

(ढ) सफलतापूर्वक शुल्क अदा कर (अजा/अजजा वाले अभ्यर्थी जिन्हें शुल्क के भुगतान में छूट प्राप्त है, को छोड़कर) सफलतापूर्वक आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी को आवेदन में दी गई प्राथमिकताओं के अनुसार परीक्षा केंद्र आंवटित किया जाएगा। यदि अनेक अभ्यर्थी एक ही परीक्षा शहर के लिए आवेदन करते हैं, तो भारतीय तटरक्षक अभ्यर्थी को किसी भी अन्य परीक्षा शहर को आंवटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है चाहे वह अभ्यर्थी की प्राथमिकता सूची में शामिल हो या नहीं।

(ण) भारतीय तटरक्षक किसी एक केंद्र में परीक्षा निरस्त करने एवं उस परीक्षा को किसी अन्य केंद्र में किसी अन्य तिथि में कराने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(त) भारतीय तटरक्षक भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में इस बैच की संपूर्ण भर्ती को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(थ) परीक्षा के दौरान मोबाइल तथा अन्य किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्रयोग की अनुमति नहीं है। भारतीय तटरक्षक ऐसी किसी भी सामग्री को अनुचित साधन मानता हैं। यदि परीक्षा के चरण-I, II एवं III के दौरान किसी अभ्यर्थी को मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस या किसी प्रकार के रिकॉर्डिंग/स्केनिंग/हियरिंग/कैप्चरिंग उपकरण इत्यादि के साथ पाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा विधि के अनुसार तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी जिसमें प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया शामिल है।

(द) भारतीय तटरक्षक किसी इलेक्ट्रानिक उपकरण की सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा शुरू होने के उपरांत और बायोमैट्रिक की पंजीकरण प्रक्रिया के पश्चात किसी भी कारणवश परीक्षा स्थान/कक्ष छोड़ने या शौचालय जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ध) परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले सभी अभ्यर्थियों की तलाशी ली जाएगी।

(न) सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि वे सावधान रहें तथा किसी भी अभ्यर्थी की संदेहास्पद गतिविधियों की जानकारी तत्काल ही निरीक्षक के ध्यान में लाएं।

(प) सफल ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अभ्यर्थियों के पास वैध ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर होना चाहिए। भारतीय तटरक्षक द्वारा अभ्यर्थियों के साथ संपर्क का माध्यम केवल ईमेल एवं भारतीय तटरक्षक भर्ती की वेबसाइट रहेगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है, कि भर्ती कार्यक्रम में परिवर्तन संबंधी जानकारी के लिए भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट एवं ईमेल का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। अपने ईमेल एवं भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन न करने के कारण, यदि अभ्यर्थी विभिन्न भर्ती चरणों में शामिल नहीं हो पाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। भारतीय तटरक्षक भर्ती वेबसाइट में दर्शाए अपडेट एवं ईमेल का

प्रत्युत्तर न देने से अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी। ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से भेजी गई महत्वपूर्ण भर्ती सूचनाओं का दैनिक आधार पर अवलोकन करने में असफल रहता है, तो भारतीय तटरक्षक इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।

(फ) अभ्यर्थियों को आनलाइन आवेदन ध्यान से भरना होगा क्योंकि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती। ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा के किसी भी चरण में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में असत्य जानकारी की गलती को स्वीकार करने वाले विधिवत हस्ताक्षरित शपथ पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(ब) अभ्यर्थियों को अपना यथा लागू जाति संबंधी विवरण {अजा/अजजा/अपिव(नॉन –क्रीमी) ईडबल्यूएस} ध्यान से भरना होगा क्योंकि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती। पूर्व में कुछ अभ्यर्थियों ने आवेदन में जाति के गलत विवरण घोषित किए थे और बाद में भारतीय तटरक्षक से सामान्य श्रेणी अभ्यर्थी के रूप में लिखित परीक्षा में उपस्थित होने का अनुरोध किया। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दिए गए गलत घोषणा के कारण यह अनुमत्य नहीं है और परिणामस्वरूप भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में एवं सेवा मे शामिल होने के बाद भी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(भ) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना ही समय पर आवेदन प्रस्तुत करें।

(म) चरण-I,II एवं III के ई-प्रवेश पत्र में उल्लिखित तिथि एवं समय पर रिपोर्ट करने में विफल होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(य) अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर आवेदन प्रस्तुत न कर पाने या भारतीय तटरक्षक के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से आवेदन प्रस्तुत न कर पाने के लिए भारतीय तटरक्षक कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है।

(र) परीक्षा के प्रशासन/तकनीकी/संभारिकी में कुछ समस्याओं के उत्पन्न होने की संभावना को पूर्णत: अस्वीकार नहीं किया जा सकता जो परीक्षा और/या उसके परिणाम तैयार करने को प्रभावित कर सकता है। उस स्थिति में, ऐसी समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थियों के आवागमन, परीक्षा में देरी शामिल हो सकता है। पुन: परीक्षा का आयोजन भारतीय तटरक्षक/परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के पूर्ण विवेक पर निर्भर है। अभ्यर्थी पुन: परीक्षा हेतु किसी प्रकार का दावा नहीं करेंगे। जो अभ्यर्थी परीक्षा की विलंबित प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं या उसके लिए आवागमन के अनिच्छुक हैं तो उन्हें प्रक्रिया से सरसरी तौर पर खारिज किया जाएगा।

(ल) कृपया नोट करें कि उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में यदि कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसका प्रकाशन केवल वेबसाइट **https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/** पर किया जाएगा और अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के शुद्धिपत्र हेतु नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करना होगा। यदि अभ्यर्थी वेबसाइट पर जारी शुद्धिपत्र का अवलोकन करने से चूकता है और तदनुसार कार्य नहीं करता है या आवश्यक शुद्धिपत्र का अनुपालन नहीं करता है तो उस स्थिति में भारतीय तटरक्षक उसके लिए उत्तरदायी नहीं है।

(श) अभ्यर्थी को बहुधा पूछे गये प्रश्नों के विषय में https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/faqs वेबसाईट पर जांच करना चाहिए, तथा ऑनलाईन आवेदन करते समय व परीक्षा के विभिन्न चरणों में उसका अनुपालन करना चाहिए।

(ष) ऑनलाईन आवेदन भरते समय दर्ज किए गए अपने मोबाईल तथा ई-मेल आईडी को स्मरण रखना चाहिए क्योंकि अभ्यर्थी के साथ पत्राचार केवल ई-मेल आईडी या भारतीय तटरक्षक वेबसाइट **https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/** के माध्यम से ही किया जाएगा। आवेदन जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को ई-मेल आईडी तथा मोबाईल नंबर केवल कूट भाषा (एनक्रिप्टेड रूप) में ही दिखाई देंगे।

(स) चरण-II के लिए दिनांक एवं केंद्र का चयन करने के बाद अभ्यर्थियों द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज़ अपलोड नहीं किए जा सकेंगे । भारतीय तटरक्षक द्वारा प्रख्यापित समय सीमा के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करने तथा दिनांक एवं समय का चयन करने में विफल रहने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(ह) जिन अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र {अजा/अजजा/ अपिव (नॉन क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस} की वैधता, चरण-II तथा चरण-III से पहले समाप्त हो रही है , उन्हें चरण-II तथा चरण-III के लिए उपस्थित होते समय पुराने प्रमाण पत्र के साथ नवीनीकृत/नया प्रमाण पत्र लाना होगा। पुराने प्रमाण पत्र के साथ नवीनीकृत/नया प्रमाण पत्र लाने में विफलता अभ्यर्थिता रद्द करने का कारण बनेगी।

(त्र) यदि अभ्यर्थी धोखाधड़ी से अजा/अजजा/ अपिव (नॉन क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस) का दावा करते हैं अथवा अन्य नॉन बोनाफाइड लाभ प्राप्त करते हैं, तो उन्हें भारतीय तटरक्षक द्वारा आयोजित वर्तमान और भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

(ज्ञ) चरण-II के बाद भी भर्ती प्रक्रिया के कई चरणों में दस्तावेज़ सत्यापन किया जाता है। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने ईमेल और लॉगिन डैशबोर्ड को नियमित रूप से दैनिक आधार पर देखते रहे। यदि भारतीय तटरक्षक द्वारा लॉगिन डैशबोर्ड/ ईमेल पर पोस्ट की गई अपडेट की जांच करने में अभ्यर्थी विफल रहता है तो कोई संचार अलग से नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

(क क) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन से पहले अनिवार्य रूप से आईसीजी वेबसाइट https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/downloads/commonReasonForRejection.पर दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अस्वीकृति के सामान्य कारणों को देखना होगा। यदि दस्तावेज़ "दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अस्वीकृति के सामान्य कारणों" के मानकों के अंतर्गत आता है, तो उन्हें इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन न करने की सलाह दी जाती है।

(क ख) अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में निर्देश दिया जाता है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें तथा अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें ताकि नजदीकी/अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर भारी लोड के कारण भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट पर लॉगिन करने में डिस्कनेक्शन /असमर्थता या विफलता की संभावना से बचा जा सके।

(क ग) अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए अनुसार अपने मूल दस्तावेज़ साथ लेकर आयें।

(क घ) किसी भी चरण में जन्मतिथि एवं लिंग बदलने की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी तथा गलत जानकारी पाए जाने पर किसी भी चरण मे अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(क ङ) ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले अभ्यर्थियों को आवेदन के प्रिंट पूर्वावलोकन (प्रिंट प्रीव्यु) का विकल्प प्रदान किया जाएगा। इस सुविधा का उपयोग अभ्यर्थियों द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए किया जाना चाहिए कि उनका आवेदन सभी पहलुओं (आवश्यक विवरण जैसे नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, विषयवार अंक/सीजीपीए (जैसा लागू हो), दस्तावेजों की वैधता तिथि, श्रेणी प्रमाणपत्र विवरण आदि) में सही है तथा विज्ञापन में निर्धारित नियमों के अनुसार दस्तावेज़ सत्यापन में अस्वीकार नहीं होगा। इस सुविधा का उपयोग ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले कितनी भी बार किया जा सकता है।

(कच) उपर्युक्त बिंदु (क घ) के अतिरिक्त, पंजीकरण पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में केवल कुछ फील्ड को संपादित/सुधार करने के लिए 02-03 दिनों की अवधि के लिए संपादन/सुधार विंडो प्रदान की जाएगी। संपादन/सुधार विंडो की अवधि अभ्यर्थियों को भारतीय तटरक्षक भर्ती वेबसाइट पर स्क्रॉल तथा ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन आवेदन भरते समय की गई गलतियों को सुधारने के लिए अभ्यर्थियों को संपादन विंडो (जब उपलब्ध कराई जाए) का उपयोग करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र, अपलोड किए गए दस्तावेज़ (ऑनलाइन आवेदन चरण-I तथा II में) तथा चरण-II में नाम, जन्मतिथि, माता -पिता के नाम, विषयवार अंक/सीजीपीए (जो भी लागू हो), दस्तावेजों की वैधता, जाती प्रमाण पत्र विवरण आदि के संदर्भ में भौतिक सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की विसंगति/भिन्नता/त्रुटि दस्तावेज़ सत्यापन में विफलता का कारण बनेगी तथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(क छ) आधार कार्ड धारक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहचान प्रमाण के लिए पहले विकल्प के रूप में अनिवार्य रूप से आधार कार्ड अपलोड करना होगा। यदि बिना आधार कार्ड वाला अभ्यर्थी भर्ती के आगे के चरणों के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो अभ्यर्थी को आधार कार्ड तथा आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर सुनिश्चित करना होगा क्योंकि बैंक खाता खोलने तथा चरण-III में स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या उत्पन्न करने के लिए यह अनिवार्य है।

(क ज) भारतीय तटरक्षक, रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सशस्त्र बल है, अत: किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्ति आवेदन के पात्र नहीं हैं।

14. **<u>यात्रा भत्ता:-</u>** अजा/अजजा श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी, जो केंद्र या राज्य सरकार में कार्यरत नहीं हैं, को ट्रेन के साधारण दूसरे दर्जे का किराया/सरकारी बस/स्टीमर के द्वारा सबसे छोटे मार्ग से तय यात्रा के किराये की प्रतिपूर्ति केंद्रीय सरकार के विनियमों के अनुसार मूल टिकट के प्रस्तुतीकरण पर की जाएगी, यदि अभ्यर्थी का गृहस्थान, परीक्षण केंद्र (चरण-I) से 30 किमी से अधिक की दूरी पर हो। इन अजा/अजजा अभ्यर्थियों को भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट से यात्रा प्रपत्र डाउनलोड करना होगा और भारतीय तटरक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

15. **<u>वेतन, भत्ते एवं अन्य लाभ:-</u>**

(क) **<u>नाविक (जनरल ड्यूटी)</u>** रु. 21700/- (वेतन लेवल -3) के मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता और वर्तमान विनियमों के अनुसार कार्य की प्रकृति/ तैनाती के स्थान के आधार पर अन्य भत्ते।

(ख) **<u>नाविक (घरेलू शाखा)</u>** रु. 21700/- (वेतन लेवल -3) के मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता और वर्तमान विनियमों के अनुसार कार्य की प्रकृति/ तैनाती के स्थान के आधार पर अन्य भत्ते।

(ग) **<u>यांत्रिक.</u>** रु. 29200/- (वेतन लेवल -5) के मूल वेतन के अतिरिक्त आपको देय यांत्रिक वेतन @ रु. 6200 के साथ महंगाई भत्ता और वर्तमान विनियमों के अनुसार कार्य की प्रकृति/तैनाती के स्थान के आधार पर अन्य भत्ते।

16. **<u>पदोन्नति एवं अनुलब्धियां:-</u>**

(क) रु. 47600/- के वेतनमान (वेतन लेवल-8) { केवल यांत्रिकों के मामले में अतिरिक्त यांत्रिक वेतन @ रु. 6200} एवं महंगाई भत्ते के साथ **प्रधान अधिकारी/प्रधान सहायक इंजीनीयर** के रैंक तक पदोन्नति के अवसर उपलब्ध है । अफसर संवर्ग में पदोन्नति, विषय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार सेवा में रहते हुए उपयुक्तता तथा निष्पादन के अधीन है।

(ख) **<u>अन्य लाभ</u>**

(क क) वर्तमान नियमों के अनुसार मुफ्त राशन, मुफ्त समवस्त्र। स्वयं तथा आश्रित अभिभावकों सहित परिवार हेतु सैन्य अस्पताल मे मुफ्त चिकित्सा उपचार।

(क ख) स्वयं तथा परिवार के लिए सरकारी आवास/मकान किराया भत्ता ।

(क ग) प्रति वर्ष 45 दिन की अर्जित छुट्टी, 08 दिन की आकस्मिक छुट्टी, सरकारी नियमानुसार स्वयं, परिवार तथा आश्रित अभिभावकों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी)

(क घ) अंशदायी पेंशन योजना (सीपीएस) अथवा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) तथा सेवानिवृत्ति पर ग्रैच्युटी।

(क च) कैंटीन सुविधा (सीएसडी) एवं अन्य ऋण सुविधाएँ।

(क छ) सेवानिवृत्ति के बाद ईसीएचएस मेडिकल सुविधाएँ।

(ग) **<u>बीमा सुरक्षा.</u>** भर्ती कार्मिकों के लिए 75लाख की बीमा सुरक्षा (अंशदान पर) लागू है।

नोट:- सरकारी आदेशानुसार वेतन**,** अनुलब्धियों**,**पदोन्नति**,**बीमा सुरक्षा एवं अन्य हितलाभ में परिवर्तन हो सकता है।

17. सभी शाखाओं की नौकरी की प्रकृति के बारे में संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त किया जा सकता है:-

(क) नाविक (जीडी) - नाविक (जीडी) का जॉब प्रोफाइल निम्नलिखित लिंक से प्राप्त किया जा सकता है:

https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/careerOpportunity/navik/gd

(ख) नाविक (डीबी) **–** नाविक (डीबी) का जॉब प्रोफाइल निम्नलिखित लिंक से प्राप्त किया जा सकता है:

https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/careerOpportunity/navik/db

(ग) यांत्रिक **–** यांत्रिक का जॉब प्रोफाइल निम्नलिखित लिंक से प्राप्त किया जा सकता है:

https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/careerOpportunity/yantrik

अभ्यर्थी संपूर्ण जानकारी के लिए तटरक्षक भर्ती वेबसाइट https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/ देखें। यह केवल सांकेतिक विज्ञापन है । किसी भी न्यायालय में केवल अँग्रेजी विज्ञापन का उल्लेख किया जाएगा, न कि हिंदी संस्करण का । हिन्दी विज्ञापन का अँग्रेजी संस्करण सदैव सही माना जाएगा।

<u>चेतावनी</u>: भारतीय तटरक्षक में चयन निष्पक्ष रूप से और मेरिट के आधार पर किया जाता है। अभ्यर्थी ऐसे अनैतिक व्यक्तियों के झांसे में न आए जो स्वयं को भर्ती एजेंट कहते है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत के लिए अभ्यर्थी निदेशक (भर्ती), तटरक्षक मुख्यालय, भर्ती केंद्र, नोएडा से दूरभाष – 0120-2201340 पर संपर्क कर सकते हैं।

<u>अस्वीकृतिकरण</u>

विज्ञापन में दिए गए नियम एवं शर्तें, दिशानिर्देश मात्र हैं और सरकार द्वारा जारी आदेश जिनमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है भर्ती प्रक्रिया के दौरान लागू होंगे।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए

तटरक्षक भर्ती कार्मिक परीक्षा (सीजीईपीटी) 01 /26 बैच तथा (सीजीईपीटी) 02 /26 बैच के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि – 25 जून 2025 (2330 बजे)